

विहार विधान-सभा वाचवृत्त

(भाग 1—कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

बृहस्पतिवार, तिथि 23 जुलाई 1981 ई०

विषय-सूची।

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या 52, 53. (पूर्ण उत्तर के लिए स्थगित), 54 (पूर्ण उत्तर के लिए स्थगित); 55 एवं 60। 1-13

सारांकित प्रश्नोत्तर संख्या 1433, 1951, 2588; 5589; 2590, 2591 एवं 2593। 14-29

परिशिष्ट: (प्रश्नों के लिखित उत्तर) 33-50

दैनिक निबंध 51-52

टिप्पणी—किन्हीं माननीय सदस्यों या सदस्यों से उनके भाषण के संशोधन प्राप्त नहीं हुए हैं।

श्री शंकर प्रताप देव—मुझे इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री रामलखन सिंह यादव—अध्यक्ष महोदय, इसके पहले माननीय मंत्री ने कहा कि हमारे पास निधि है तब न 23 नाले और 3 गलकूप बनाये गये और अभी कहते हैं कि हमारे पास निधि नहीं है, इन दोनों में क्या सामंजस्य है ।

श्री शंकर प्रताप देव—इन्होंने यह कभी नहीं कहा । मैंने यह कहा कि निगम अपने सीमित साधन से 1 नवम्बर 1980 से 31 मार्च तक 3 नलकूप बनाये गये हैं ।

श्री रामलखन सिंह यादव—क्या यह बात सही है कि जितने नलकूप गाड़े गये हैं उस पर जो व्यय हुआ है उससे ज्यादा खर्च इनके ट्यूब वेल एसटेब्लिशमेंट पर हो रहा है ।

श्री शंकर प्रताप देव—हां, हो रहा है ।

श्री भोला सिंह—क्या सरकार को मालूम है कि अमरोल, मई और जूम खहीने में तीन वहाँ 129 नलकूप गाड़े गये हैं ।

श्री शंकर प्रताप देव—इसकी सूचना नहीं है ।

अवधि नियुक्तियों का औचित्य

2593. सर्वश्री रामाश्रय राय एवं महेन्द्र नारायण झा 'आजाद'—क्या मंत्री, वन्यपालन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार डेयरी कारपोरेशन घाटे में चल रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 1979-80 एवं 1980-81 में इस

निगम में गलत ढंग से सरकारी नियम, उपनयम, निर्देशों के विपरीत संकल्पों नियुक्तियां कर घाटे की रकम बढ़ा दी गई है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो अवैध नियुक्तियों का क्या औचित्य है ?

श्री कृष्णेश्वर सिंह—खंड (१) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

खंड (2) यह बात सही है कि तत्कालीन प्रबंध निदेशक श्री भोला भण्डार द्वारा सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट नियुक्ति संबंधी प्रक्रियाओं के विरुद्ध तृतीय और चतुर्थवर्गीय पदों पर दो सी 6 नियुक्तियां अनियमित ढंग से जिनका कि कोई औचित्य मालूम नहीं पड़ता, प्रकाश में आया है। बिहार स्टेट डेयरी कारपोरेशन के वरीय पदाधिकारियों की गठित समिति ने छानबीन करते इन दो सी 6 नियुक्तियों को अनियमित ठहराया है और समिति का प्रतिवेदन प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट डेयरी कारपोरेशन द्वारा सरकार का भेज दिया गया है। जांच प्रतिवेदन की जांच 12 दिनों के अन्दर करके सरकार कार्रवाई करेगी।

श्री मुंशीलाल राय—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आपके पदाधिकारी ने 10 हजार रुपया लेकर नियुक्ति की है और आप उसे छांटने जा रहे हैं।

श्री कृष्णेश्वर सिंह—मैंने कहा कि तीन व्यक्ति की कमिटी ने जांचकर

ली है और प्रतिवेदन सरकार को दे दिया है। सरकार इसकी जांचकर रही है। यह बात गलत है कि हमारे पदाधिकारी ने 10 हजार रुपया लेकर नियुक्ति की है।

अध्यक्ष—प्रश्नोत्तर काल समाप्त। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, उन्हें सदन

की मेज पर रखा जाय।